FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

अब्दुल हकीम बनाम अधीक्षण अभियन्ता, सार्व0 निर्माण विभाग रूपनगढ़

धारा–101 Land acquision act 2013 नम्बर 30 वर्षः–2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंवर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री दशरथ वैष्णव ने अर्न्तगत धारा 101 Land acquision act 2013 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22-1-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
2 1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-3-25 को पेश हो।	
25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-4-25 को पेश हो।	
30/4/25 बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-5-25 को पेश हो।	
25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 2-7-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
2-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/~~अवकाश~~ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-8-25 को पेश हो।	
25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी हेतु और तलबाना चाहा। तलबाना किया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-25 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

मु.नं. 30/25 अब्दुल हकीम / अधीक्षण अभि० सा. नि. वि.

बार एसो. स्थगन

13-8-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब नहीं/अवकाश पर पधारे है।
अत: पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
3-9-25 को पेश हो।

3-9-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
अप्रार्थी का नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं।
प्रार्थना पत्र RFCTLARR Act, 2013 की धारा 101
के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त अधिनियम
की धारा 101 के अनुसार "अधिनियम के अधीन अर्जित
कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि
तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति,
मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या
समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित
सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।"
प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि की अवाप्ति
वर्ष 2007 में की गई है अत: RFCTLARR Act 2013 के
अधीन अर्जित नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 101 के
अनुसार समुचित सरकार द्वारा ही अनुपयोजित भूमि वापस
की जा सकती है जो कि धारा 3(ड) के अनुसार राज्य सरकार
है। उक्त प्रार्थना पत्र सक्षम स्तर पर प्रस्तुत न किये जाने
से पोषणीय नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के कम हो।

उपखण्ड अधि...
...पनगढ़ (अ...